Min. Pen

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या- 4/2016/सा-3-75 /दस-2016-308/97 टी0सी0

लखनऊ : दिनॉक : 21 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के दिनॉक 01-01-2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनॉक 19-07-2010, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1648/दस-2010, दिनॉक 12-10-2010 एवं संख्या-7/सा-3-जी0आई0-02/दस-2014-308/97 टी0सी0, दिनॉक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1005/दस-2014-308/97 टी0सी0, दिनॉक 07-11-2014 द्वारा न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गयी थीं।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08 पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0(ए), दिनॉक 28-01-2013 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08 पी0 एण्ड पी0डब्ल्यू0(ए), दिनॉक 30-07-2015 द्वारा दिनॉक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- संलग्न तालिका में दी गयी दरें दिनॉक 01-01-2006 से लागू होंगी परन्तु इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

4- पूर्वोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 19-07-2010, 12-10-2010, दिनॉक 14-07-2014 एवं दिनॉक 07-11-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त कार्यालय-ज्ञापों की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

संलग्नक : यथोक्त

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UP_MIN_PEN_21.1.16